

आयुक्त/अध्यापक,

प्राथमिकता की दिनांक 16-3-91 को सम्बन्ध हेतु बैंक का सम्बन्ध
नियार करत दिया गया है जो दाहिनी ओर आपके अवलोकनीयता हेतु
हेतु प्रस्तुत है।

Dr
7.4.91
उपाध्यक्ष,
मो.दो.वि.प्र.गो.प्रा.गो.

Dr
9.4.91
उपाध्यक्ष,
मो.दो.वि.प्र.गो.प्रा.गो.



मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.3.91 में अधिकारियों की उपस्थिति:-

क्रमांक अधिकारी का नाम पद एवं विभाग हस्ताक्षर

1- श्री नागिनन्दर सिंह, आयुक्त/अध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0

2- श्री गुलवीर सिंह, उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0

3- श्री प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून।

4- सुश्री विभापुरी, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।

4- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन।

5- श्री के0एम0सिन्हा, विशेष सचिव, पर्वतीय विकास, उ0प्र0 शासन।

6- श्री कृष्णरानी, अटिच निमेन्स, गोर बम्प शिल्ड निमेन्स लानस, गोरानग, *Sharma*

7- श्री जी0रतन शर्मा, सिक्रेटरी, *Sharma*

8- मन्ना और सिंघ, सं. जमीन/प्रशासकीय कार्यालय, *Manna*

9- V.K. Langley IAS(D) representative of C.F. Yamuna Circle *Langley*

10- जन. के. सिंह, प्रबन्धक, निवा उपांग केन्द्र देहरादून *J.K. Singh*

11- राम राम सिंघा, अर्थात् अतिथि, नारीय विभागाध्यक्ष, देहरादून *Ram Ram Singh*

12- ए.ए.स. अग्र, विभागाध्यक्ष, देहरादून नारी *A.A.S. Agr*

13- जोगी सिंघ, अर्थात् अतिथि, नारीय विभाग, देहरादून *Jogee Singh*

14- श्रीमती नम्रता, नारीय विभाग, देहरादून *Shrimati Namrata*

15- श्रीमती नम्रता, नारीय विभाग, देहरादून *Shrimati Namrata*

26-

17-

18-

9-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-3-1991 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति


- 1- श्री नागिन्द्र सिंह, आयुक्त/अध्यक्ष
- 2- श्री गुलबीर सिंह, उपाध्यक्ष, म0दे0 वि0प्रा0
- 3- श्री प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून
- 4- श्री सभाध्यक्ष बहलूडी, संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 5- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून
- 6- श्री जीत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी
- 7- सुश्री विभापुरी, विशेष सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 8- श्री के0के0 सिन्हा, विशेष सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
- 9- श्री हरेश्वर शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, लखनऊ ।
- 10- श्री रस0रस0 विजयारिया, अधीक्षक अभियन्ता, नगरीय वितरण मण्डल, देहरादून ।
- 11- श्री रन0के0 सिंह, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।
- 12- श्री वी0के0 पांगाली, आइसपर्सन, यमुना वृत्त, देहरादून

विशेष आमंत्रित :-

- 1- श्री हरबंस कपूर, नगर विधायक, देहरादून ।
- 2- श्री रणनील सिंह वर्मा, विधायक मसुरी क्षेत्र ।

अन्य उपस्थित :-

- 1- सचिव, मसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
- 2- संयुक्त सचिव, मसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
- 3- श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 गढ़वाल सभागणिय नियोजन छुड़, देहरादून ।
- 4- परधानाधिकारी/संयुक्त सचिव, मसुरी, म0दे0 वि0प्रा0 ।



अर्थ
उपायार्थ
निरर्थ
निरर्थ
निरर्थ
निरर्थ

निरर्थ/प्रतिनिधि
निरर्थ/प्रतिनिधि
निरर्थ/प्रतिनिधि
निरर्थ/प्रतिनिधि

क १ गत बैठक की कार्यवाही

गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गई एवं सर्वसम्मति से पुडिट की गई ।
पुडिट स्वरूप आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किए गए ।

ख गत बैठक की अनुपालन आख्या

गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी एवं सर्वसम्मति से पुडिट की गई ।

विषय क्रमांक-1 :- भैं 0 वासुधा एस्टेट प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत फार्म हाउस कार्पलेक्स के ग्राउट के सम्बन्ध में ।

इस मामले में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-10-90 में संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करके आख्या/संस्तुति प्रस्तुत किए जाने हेतु गठित समिति की आख्या का अवलोकन किया गया तथा विस्तृत रूप से विचारविमर्श किया गया । आग सदस्यों ने यह मत प्रकट किया कि एक कम्पनी द्वारा एक साथ पांच फार्म हाउसेज बनाने से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे इसका उपयोग कामधिल उद्देश्य की पूर्ति हेतु करेंगे । वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 ने अपना यह मत प्रकट किया कि जिस स्थल पर फार्म हाउसेज प्रस्तावित है, वह भूमि वर्तमान में बंजर है, अतः पहले उस स्थल को फार्म के स्वरूप में विकसित होना चाहिए । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कम्पनी को निम्न आपत्तियों से अवगत करा दिया जाए :-

- 1- पहले फार्म हाउस हेतु प्रस्तावित स्थल को फार्म हाउस का स्वरूप देने के लिए पर्याप्त मात्रा में वनीकरण एवं फ्ल-पौधे आदि लगाये तभी मानचित्र स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा ।
- 2- एक व्यक्ति के नाम पर मात्र एक ही फार्म हाउस बनाने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी ।

कार्यवाही सं0न0नि0/सचिव।

क्रमांक: -----2,

विषय क्रमांक-2 :- हीटल वैद्यलियन, मसुरी के निर्माण मानचित्र के सन्दर्भ में ।

प्रस्ताव पर विचारविमर्श हुआ । प्राधिकरण तथा शासन के निर्देशानुसार माल रोड़ पर किसी भी व्यवसायिक व नवनिर्माण की अनुमति दिए जाने पर प्रतिबंध है । विशेष आभंगी के रूप में बुलाये गये मसुरी क्षेत्र के विधायक श्री रणधीर सिंह वर्मा ने यह सुझाव दिया कि मसुरी क्षेत्र में इस प्रकार के निर्माणों की अनुमति दिये जाने से पूर्व एक नीति बनानी जाए ताकि मसुरी के नैसर्गिक सौन्दर्य को बनाया रखा जा सके । अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी का भी यही मानना था कि मसुरी के बारे में कोई स्पष्ट नीति तय होनी चाहिए ताकि वहां के निवासियों की भविष्य की बुनियादी जरूरतों यथा-विजली, पानी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । अन्य सदस्यों ने भी इन सुझावों पर सहमति प्रकट की । निर्णय लिया गया कि निम्नवत् गठित समिति परिभाषित माल रोड़ के दोनों ओर हिल साइड एवं टून्वैली साइड में कितनी दूरी तक निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है और किन परिस्थितियों में निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, आदि बातों को ध्यान में रखते हुए एक नीति तय करें तथा उसे प्राधिकरण की आगागी बैठक में प्रस्तुत करें । फिलहाल इस मामले को लज्जित रखा जाए ।

- 1- उपाध्यक्ष, मसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
- 2- अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी ।
- 3- उपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून ।
- 4- सदस्यकत नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग 3050, देहरादून ।
- 5- पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि ।
- 6- जल निगम के प्रतिनिधि ।

कार्यवाही संनोनि0/सचिव।

विषय क्रमांक-3 :- राजपुर रोड़ स्थित प्लॉट सं0-57/19 पर भिखारिपैस व्यवसायिक दुकानों के निर्माण के सन्दर्भ में ।

इस प्रकरण पर विचार प्रारम्भ होते ही अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून द्वारा इस आधार पर आपत्ति प्रकट की गयी कि राजपुर रोड़ एक नैसनल हाईवे, है तथा अधिकांश पर्यटकों का आवागमन इस मार्ग पर रहता है । इस प्रकार के निर्माण

कामपलैक्स के निर्माण से राजपुर रोड़ की सुन्दरता एवं उसके खूबसूरत पर बुरा असर पड़ेगा तथा ट्रैफिक की दृष्टि से और अधिक भीड़भाड़ हो जायेगी । उनका यह भी कहना था कि राजपुर रोड़ पर इस प्रकार के निर्माणों की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुआ था । श्री एस०सी० बहुरूढ़ी, संयुक्त सचिव, नगर विकास भी इस बात से सहमत थे तथा उनका यह भी कहना था कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के मानचित्र का नहीं है, अपितु राजपुर रोड़ का स्वरूप हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, यह प्रश्न विद्यार्थीय है । उन्होनें राजपुर रोड़ की सुन्दरता को बनाये रखने पर बल दिया ।

श्री विभापुरी, विशेष सचिव, वित्त विभाग का भी यही कहना था कि राजपुर रोड़ पर आगे इस प्रकार के व्यवसायिक कामपलैक्स नहीं बनने चाहिये । जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा भी इस प्रकरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया । उनका कहना था कि भले ही चंटावर से आर०टी०ओ० ऑफिस तक का क्षेत्र "आवासीय" से "व्यवसायिक" में परिवर्तित हो गया हो परन्तु गुणावर्ण के आधार पर इस प्रकार के निर्माण कामपलैक्सों के निर्माण की अनुमति देने अथवा न देने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र है ।

विशेष आमंत्री के रूप में बुलाये गये नगर विधायक श्री हरबंस कपूर का विचार था कि विधिक दृष्टि से मानचित्र स्वीकृति योग्य है, अतः इस पर नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की । उनका यह भी कहना था कि यदि राजपुर रोड़ पर इस प्रकार के व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति पर प्रतिबन्ध लगाना ही है तो पुनः भूउपयोग "आवासीय" में परिवर्तन करने पर पुनर्विचार किया जाय ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी का यह कहना था कि इस सम्बन्ध में कोई मानक सिद्धान्त बना लिये जाय तथा उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय । उनका यह भी कहना था कि जो भी मानक सिद्धान्त बनाये जाय वह सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिये ।

यह निर्णय लिया गया कि वर्ष-1987 में चंटावर से आर०टी०ओ०ऑफिस तक का भूउपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने हेतु जो संस्तुति शासन को भेजी गयी थी तथा जिस पर शासन द्वारा भूउपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित करने

राजपुर रोड़ की सुन्दरता एवं उसके खूबसूरत पर बुरा असर पड़ेगा तथा ट्रैफिक की दृष्टि से और अधिक भीड़भाड़ हो जायेगी । उनका यह भी कहना था कि राजपुर रोड़ पर इस प्रकार के निर्माणों की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुआ था । श्री एस०सी० बहुरूढ़ी, संयुक्त सचिव, नगर विकास भी इस बात से सहमत थे तथा उनका यह भी कहना था कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के मानचित्र का नहीं है, अपितु राजपुर रोड़ का स्वरूप हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, यह प्रश्न विद्यार्थीय है । उन्होनें राजपुर रोड़ की सुन्दरता को बनाये रखने पर बल दिया ।

श्री विभापुरी, विशेष सचिव, वित्त विभाग का भी यही कहना था कि राजपुर रोड़ पर आगे इस प्रकार के व्यवसायिक कामपलैक्स नहीं बनने चाहिये । जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा भी इस प्रकरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया । उनका कहना था कि भले ही चंटावर से आर०टी०ओ० ऑफिस तक का क्षेत्र "आवासीय" से "व्यवसायिक" में परिवर्तित हो गया हो परन्तु गुणावर्ण के आधार पर इस प्रकार के निर्माण कामपलैक्सों के निर्माण की अनुमति देने अथवा न देने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र है ।

विशेष आमंत्री के रूप में बुलाये गये नगर विधायक श्री हरबंस कपूर का विचार था कि विधिक दृष्टि से मानचित्र स्वीकृति योग्य है, अतः इस पर नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की । उनका यह भी कहना था कि यदि राजपुर रोड़ पर इस प्रकार के व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति पर प्रतिबन्ध लगाना ही है तो पुनः भूउपयोग "आवासीय" में परिवर्तन करने पर पुनर्विचार किया जाय ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी का यह कहना था कि इस सम्बन्ध में कोई मानक सिद्धान्त बना लिये जाय तथा उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय । उनका यह भी कहना था कि जो भी मानक सिद्धान्त बनाये जाय वह सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिये ।

यह निर्णय लिया गया कि वर्ष-1987 में चंटावर से आर०टी०ओ०ऑफिस तक का भूउपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने हेतु जो संस्तुति शासन को भेजी गयी थी तथा जिस पर शासन द्वारा भूउपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित करने

सम्बन्धी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है, उस पर पुनर्विचार कर लिया जाए । इस हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है जो अपनी विस्तृत आख्या/संस्तुति प्रार्थिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी । तब तक उपरोक्त मानचित्र को लम्बित रखा जाए ।

- 1- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 2- उपाध्यक्ष, मसुरी-देहरादून विकास प्रार्थिकरण ।
- 3- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग 3070 ।
- 4- अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून ।
- 5- नगर विधायक, देहरादून ।
- 6- पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि ।

कार्यवाही सचिव।

विषय क्रमांक-4 :- ग्राम भाखवाला, ख०नं०-497 एवं 498 परगना केन्द्रीयदून तहसील देहरादून में "चय" के निर्माण की स्वीकृति दिख जाने सम्बन्धी ।

प्रश्नगत स्थल के मानचित्र की स्वीकृति की अनुमोदन सर्वसम्मति से इस सर्त के साथ किया गया कि जिलाधिकारी, देहरादून ने इस सम्बन्ध में अपने पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 30-7-90 द्वारा जो अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया था, उसके संदर्भ में पुनः पूछ लिया जाए । तदीपरान्त उपाध्यक्ष इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करें ।

कार्यवाही सचिव।

विषय क्रमांक-5 :- श्री प्रेम कश्यप द्वारा गाय बगराल गांव, जिला देहरादून में प्रस्तावित झण्डर नेशनल स्कूल के निर्माण मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रश्नगत मानचित्र ग्रीनबैल्ट में प्रस्तावित होने के कारण अधिकांश सदस्यों ने इस आधार पर आपत्ति प्रकट की कि भले ही इस प्रकार की अनुमति प्रार्थिकरण द्वारा दी जा सकती है परन्तु यदि इसी प्रकार प्रतिकूल भूउपयोग के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत किए जाते रहे तो महायोजना का कोर्ड औचित्य ही नहीं रह जायेगा तथा अनिर्दिष्ट ढंग से नगर का स्वरूप विकसित होगा । अतः

कुमार्तः-----5,

उत्तरीय प्रशासनिक विभाग
एन 3070, नयी दिल्ली
सर्तों के लिए प्रमाण पत्र
1- गार्ड, उत्तरीय प्रशासनिक विभाग
2- निर्माण विभाग
3- नगर विकास विभाग
4- श्री केशव प्रसाद
5- एन 3070, नयी दिल्ली
एन 3070, नयी दिल्ली
पर विचार कर लेना

विषय क्रमांक-4 :-

- 131 क्र. 3144, 3145
- 132 क्र. 3146, 3147
- 133 क्र. 3148, 3149
- 134 क्र. 3150, 3151
- 135 क्र. 3152, 3153
- 136 क्र. 3154, 3155
- 137 क्र. 3156, 3157
- 138 क्र. 3158, 3159
- 139 क्र. 3160, 3161
- 140 क्र. 3162, 3163
- 141 क्र. 3164, 3165
- 142 क्र. 3166, 3167
- 143 क्र. 3168, 3169
- 144 क्र. 3170, 3171
- 145 क्र. 3172, 3173
- 146 क्र. 3174, 3175
- 147 क्र. 3176, 3177
- 148 क्र. 3178, 3179
- 149 क्र. 3180, 3181
- 150 क्र. 3182, 3183
- 151 क्र. 3184, 3185
- 152 क्र. 3186, 3187
- 153 क्र. 3188, 3189
- 154 क्र. 3190, 3191
- 155 क्र. 3192, 3193
- 156 क्र. 3194, 3195
- 157 क्र. 3196, 3197
- 158 क्र. 3198, 3199
- 159 क्र. 3200, 3201
- 160 क्र. 3202, 3203
- 161 क्र. 3204, 3205
- 162 क्र. 3206, 3207
- 163 क्र. 3208, 3209
- 164 क्र. 3210, 3211
- 165 क्र. 3212, 3213
- 166 क्र. 3214, 3215
- 167 क्र. 3216, 3217
- 168 क्र. 3218, 3219
- 169 क्र. 3220, 3221
- 170 क्र. 3222, 3223
- 171 क्र. 3224, 3225
- 172 क्र. 3226, 3227
- 173 क्र. 3228, 3229
- 174 क्र. 3230, 3231
- 175 क्र. 3232, 3233
- 176 क्र. 3234, 3235
- 177 क्र. 3236, 3237
- 178 क्र. 3238, 3239
- 179 क्र. 3240, 3241
- 180 क्र. 3242, 3243
- 181 क्र. 3244, 3245
- 182 क्र. 3246, 3247
- 183 क्र. 3248, 3249
- 184 क्र. 3250, 3251
- 185 क्र. 3252, 3253
- 186 क्र. 3254, 3255
- 187 क्र. 3256, 3257
- 188 क्र. 3258, 3259
- 189 क्र. 3260, 3261
- 190 क्र. 3262, 3263
- 191 क्र. 3264, 3265
- 192 क्र. 3266, 3267
- 193 क्र. 3268, 3269
- 194 क्र. 3270, 3271
- 195 क्र. 3272, 3273
- 196 क्र. 3274, 3275
- 197 क्र. 3276, 3277
- 198 क्र. 3278, 3279
- 199 क्र. 3280, 3281
- 200 क्र. 3282, 3283
- 201 क्र. 3284, 3285
- 202 क्र. 3286, 3287
- 203 क्र. 3288, 3289
- 204 क्र. 3290, 3291
- 205 क्र. 3292, 3293
- 206 क्र. 3294, 3295
- 207 क्र. 3296, 3297
- 208 क्र. 3298, 3299
- 209 क्र. 3300, 3301
- 210 क्र. 3302, 3303
- 211 क्र. 3304, 3305
- 212 क्र. 3306, 3307
- 213 क्र. 3308, 3309
- 214 क्र. 3310, 3311
- 215 क्र. 3312, 3313
- 216 क्र. 3314, 3315
- 217 क्र. 3316, 3317
- 218 क्र. 3318, 3319
- 219 क्र. 3320, 3321
- 220 क्र. 3322, 3323
- 221 क्र. 3324, 3325
- 222 क्र. 3326, 3327
- 223 क्र. 3328, 3329
- 224 क्र. 3330, 3331
- 225 क्र. 3332, 3333
- 226 क्र. 3334, 3335
- 227 क्र. 3336, 3337
- 228 क्र. 3338, 3339
- 229 क्र. 3340, 3341
- 230 क्र. 3342, 3343
- 231 क्र. 3344, 3345
- 232 क्र. 3346, 3347
- 233 क्र. 3348, 3349
- 234 क्र. 3350, 3351
- 235 क्र. 3352, 3353
- 236 क्र. 3354, 3355
- 237 क्र. 3356, 3357
- 238 क्र. 3358, 3359
- 239 क्र. 3360, 3361
- 240 क्र. 3362, 3363
- 241 क्र. 3364, 3365
- 242 क्र. 3366, 3367
- 243 क्र. 3368, 3369
- 244 क्र. 3370, 3371
- 245 क्र. 3372, 3373
- 246 क्र. 3374, 3375
- 247 क्र. 3376, 3377
- 248 क्र. 3378, 3379
- 249 क्र. 3380, 3381
- 250 क्र. 3382, 3383
- 251 क्र. 3384, 3385
- 252 क्र. 3386, 3387
- 253 क्र. 3388, 3389
- 254 क्र. 3390, 3391
- 255 क्र. 3392, 3393
- 256 क्र. 3394, 3395
- 257 क्र. 3396, 3397
- 258 क्र. 3398, 3399
- 259 क्र. 3400, 3401
- 260 क्र. 3402, 3403
- 261 क्र. 3404, 3405
- 262 क्र. 3406, 3407
- 263 क्र. 3408, 3409
- 264 क्र. 3410, 3411
- 265 क्र. 3412, 3413
- 266 क्र. 3414, 3415
- 267 क्र. 3416, 3417
- 268 क्र. 3418, 3419
- 269 क्र. 3420, 3421
- 270 क्र. 3422, 3423
- 271 क्र. 3424, 3425
- 272 क्र. 3426, 3427
- 273 क्र. 3428, 3429
- 274 क्र. 3430, 3431
- 275 क्र. 3432, 3433
- 276 क्र. 3434, 3435
- 277 क्र. 3436, 3437
- 278 क्र. 3438, 3439
- 279 क्र. 3440, 3441
- 280 क्र. 3442, 3443
- 281 क्र. 3444, 3445
- 282 क्र. 3446, 3447
- 283 क्र. 3448, 3449
- 284 क्र. 3450, 3451
- 285 क्र. 3452, 3453
- 286 क्र. 3454, 3455
- 287 क्र. 3456, 3457
- 288 क्र. 3458, 3459
- 289 क्र. 3460, 3461
- 290 क्र. 3462, 3463
- 291 क्र. 3464, 3465
- 292 क्र. 3466, 3467
- 293 क्र. 3468, 3469
- 294 क्र. 3470, 3471
- 295 क्र. 3472, 3473
- 296 क्र. 3474, 3475
- 297 क्र. 3476, 3477
- 298 क्र. 3478, 3479
- 299 क्र. 3480, 3481
- 300 क्र. 3482, 3483
- 301 क्र. 3484, 3485
- 302 क्र. 3486, 3487
- 303 क्र. 3488, 3489
- 304 क्र. 3490, 3491
- 305 क्र. 3492, 3493
- 306 क्र. 3494, 3495
- 307 क्र. 3496, 3497
- 308 क्र. 3498, 3499
- 309 क्र. 3500, 3501
- 310 क्र. 3502, 3503
- 311 क्र. 3504, 3505
- 312 क्र. 3506, 3507
- 313 क्र. 3508, 3509
- 314 क्र. 3510, 3511
- 315 क्र. 3512, 3513
- 316 क्र. 3514, 3515
- 317 क्र. 3516, 3517
- 318 क्र. 3518, 3519
- 319 क्र. 3520, 3521
- 320 क्र. 3522, 3523
- 321 क्र. 3524, 3525
- 322 क्र. 3526, 3527
- 323 क्र. 3528, 3529
- 324 क्र. 3530, 3531
- 325 क्र. 3532, 3533
- 326 क्र. 3534, 3535
- 327 क्र. 3536, 3537
- 328 क्र. 3538, 3539
- 329 क्र. 3540, 3541
- 330 क्र. 3542, 3543
- 331 क्र. 3544, 3545
- 332 क्र. 3546, 3547
- 333 क्र. 3548, 3549
- 334 क्र. 3550, 3551
- 335 क्र. 3552, 3553
- 336 क्र. 3554, 3555
- 337 क्र. 3556, 3557
- 338 क्र. 3558, 3559
- 339 क्र. 3560, 3561
- 340 क्र. 3562, 3563
- 341 क्र. 3564, 3565
- 342 क्र. 3566, 3567
- 343 क्र. 3568, 3569
- 344 क्र. 3570, 3571
- 345 क्र. 3572, 3573
- 346 क्र. 3574, 3575
- 347 क्र. 3576, 3577
- 348 क्र. 3578, 3579
- 349 क्र. 3580, 3581
- 350 क्र. 3582, 3583
- 351 क्र. 3584, 3585
- 352 क्र. 3586, 3587
- 353 क्र. 3588, 3589
- 354 क्र. 3590, 3591
- 355 क्र. 3592, 3593
- 356 क्र. 3594, 3595
- 357 क्र. 3596, 3597
- 358 क्र. 3598, 3599
- 359 क्र. 3600, 3601
- 360 क्र. 3602, 3603
- 361 क्र. 3604, 3605
- 362 क्र. 3606, 3607
- 363 क्र. 3608, 3609
- 364 क्र. 3610, 3611
- 365 क्र. 3612, 3613
- 366 क्र. 3614, 3615
- 367 क्र. 3616, 3617
- 368 क्र. 3618, 3619
- 369 क्र. 3620, 3621
- 370 क्र. 3622, 3623
- 371 क्र. 3624, 3625
- 372 क्र. 3626, 3627
- 373 क्र. 3628, 3629
- 374 क्र. 3630, 3631
- 375 क्र. 3632, 3633
- 376 क्र. 3634, 3635
- 377 क्र. 3636, 3637
- 378 क्र. 3638, 3639
- 379 क्र. 3640, 3641
- 380 क्र. 3642, 3643
- 381 क्र. 3644, 3645
- 382 क्र. 3646, 3647
- 383 क्र. 3648, 3649
- 384 क्र. 3650, 3651
- 385 क्र. 3652, 3653
- 386 क्र. 3654, 3655
- 387 क्र. 3656, 3657
- 388 क्र. 3658, 3659
- 389 क्र. 3660, 3661
- 390 क्र. 3662, 3663
- 391 क्र. 3664, 3665
- 392 क्र. 3666, 3667
- 393 क्र. 3668, 3669
- 394 क्र. 3670, 3671
- 395 क्र. 3672, 3673
- 396 क्र. 3674, 3675
- 397 क्र. 3676, 3677
- 398 क्र. 3678, 3679
- 399 क्र. 3680, 3681
- 400 क्र. 3682, 3683
- 401 क्र. 3684, 3685
- 402 क्र. 3686, 3687
- 403 क्र. 3688, 3689
- 404 क्र. 3690, 3691
- 405 क्र. 3692, 3693
- 406 क्र. 3694, 3695
- 407 क्र. 3696, 3697
- 408 क्र. 3698, 3699
- 409 क्र. 3700, 3701
- 410 क्र. 3702, 3703
- 411 क्र. 3704, 3705
- 412 क्र. 3706, 3707
- 413 क्र. 3708, 3709
- 414 क्र. 3710, 3711
- 415 क्र. 3712, 3713
- 416 क्र. 3714, 3715
- 417 क्र. 3716, 3717
- 418 क्र. 3718, 3719
- 419 क्र. 3720, 3721
- 420 क्र. 3722, 3723
- 421 क्र. 3724, 3725
- 422 क्र. 3726, 3727
- 423 क्र. 3728, 3729
- 424 क्र. 3730, 3731
- 425 क्र. 3732, 3733
- 426 क्र. 3734, 3735
- 427 क्र. 3736, 3737
- 428 क्र. 3738, 3739
- 429 क्र. 3740, 3741
- 430 क्र. 3742, 3743
- 431 क्र. 3744, 3745
- 432 क्र. 3746, 3747
- 433 क्र. 3748, 3749
- 434 क्र. 3750, 3751
- 435 क्र. 3752, 3753
- 436 क्र. 3754, 3755
- 437 क्र. 3756, 3757
- 438 क्र. 3758, 3759
- 439 क्र. 3760, 3761
- 440 क्र. 3762, 3763
- 441 क्र. 3764, 3765
- 442 क्र. 3766, 3767
- 443 क्र. 3768, 3769
- 444 क्र. 3770, 3771
- 445 क्र. 3772, 3773
- 446 क्र. 3774, 3775
- 447 क्र. 3776, 3777
- 448 क्र. 3778, 3779
- 449 क्र. 3780, 3781
- 450 क्र. 3782, 3783
- 451 क्र. 3784, 3785
- 452 क्र. 3786, 3787
- 453 क्र. 3788, 3789
- 454 क्र. 3790, 3791
- 455 क्र. 3792, 3793
- 456 क्र. 3794, 3795
- 457 क्र. 3796, 3797
- 458 क्र. 3798, 3799
- 459 क्र. 3800, 3801
- 460 क्र. 3802, 3803
- 461 क्र. 3804, 3805
- 462 क्र. 3806, 3807
- 463 क्र. 3808, 3809
- 464 क्र. 3810, 3811
- 465 क्र. 3812, 3813
- 466 क्र. 3814, 3815
- 467 क्र. 3816, 3817
- 468 क्र. 3818, 3819
- 469 क्र. 3820, 3821
- 470 क्र. 3822, 3823
- 471 क्र. 3824, 3825
- 472 क्र. 3826, 3827
- 473 क्र. 3828, 3829
- 474 क्र. 3830, 3831
- 475 क्र. 3832, 3833
- 476 क्र. 3834, 3835
- 477 क्र. 3836, 3837
- 478 क्र. 3838, 3839
- 479 क्र. 3840, 3841
- 480 क्र. 3842, 3843
- 481 क्र. 3844, 3845
- 482 क्र. 3846, 3847
- 483 क्र. 3848, 3849
- 484 क्र. 3850, 3851
- 485 क्र. 3852, 3853
- 486 क्र. 3854, 3855
- 487 क्र. 3856, 3857
- 488 क्र. 3858, 3859
- 489 क्र. 3860, 3861
- 490 क्र. 3862, 3863
- 491 क्र. 3864, 3865
- 492 क्र. 3866, 3867
- 493 क्र. 3868, 3869
- 494 क्र. 3870, 3871
- 495 क्र. 3872, 3873
- 496 क्र. 3874, 3875
- 497 क्र. 3876, 3877
- 498 क्र. 3878, 3879
- 499 क्र. 3880, 3881
- 500 क्र. 3882, 3883
- 501 क्र. 3884, 3885
- 502 क्र. 3886, 3887
- 503 क्र. 3888, 3889
- 504 क्र. 3890, 3891
- 505 क्र. 3892, 3893
- 506 क्र. 3894, 3895
- 507 क्र. 3896, 3897
- 508 क्र. 3898, 3899
- 509 क्र. 3900, 3901
- 510 क्र. 3902, 3903
- 511 क्र. 3904, 3905
- 512 क्र. 3906, 3907
- 513 क्र. 3908, 3909
- 514 क्र. 3910, 3911
- 515 क्र. 3912, 3913
- 516 क्र. 3914, 3915
- 517 क्र. 3916, 3917
- 518 क्र. 3918, 3919
- 519 क्र. 3920, 3921
- 520 क्र. 3922, 3923
- 521 क्र. 3924, 3925
- 522 क्र. 3926, 3927
- 523 क्र. 3928, 3929
- 524 क्र. 3930, 3931
- 525 क्र. 3932, 3933
- 526 क्र. 3934, 3935
- 527 क्र. 3936, 3937
- 528 क्र. 3938, 3939
- 529 क्र. 3940, 3941
- 530 क्र. 3942, 3943
- 531 क्र. 3944, 3945
- 532 क्र. 3946, 3947
- 533 क्र. 3948, 3949
- 534 क्र. 3950, 3951
- 535 क्र. 3952, 3953
- 536 क्र. 3954, 3955
- 537 क्र. 3956, 3957
- 538 क्र. 3958, 3959
- 539 क्र. 3960, 3961
- 540 क्र. 3962, 3963
- 541 क्र. 3964, 3965
- 542 क्र. 3966, 3967
- 543 क्र. 3968, 3969
- 544 क्र. 3970, 3971
- 545 क्र. 3972, 3973
- 546 क्र. 3974, 3975
- 547 क्र. 3976, 3977
- 548 क्र. 3978, 3979
- 549 क्र. 3980, 3981
- 550 क्र. 3982, 3983
- 551 क्र. 3984, 3985
- 552 क्र. 3986, 3987
- 553 क्र. 3988, 3989
- 554 क्र. 3990, 3991
- 555 क्र. 3992, 3993
- 556 क्र. 3994, 3995
- 557 क्र. 3996, 3997
- 558 क्र. 3998, 3999
- 559 क्र. 4000, 4001
- 560 क्र. 4002, 4003
- 561 क्र. 4004, 4005
- 562 क्र. 4006, 4007
- 563 क्र. 4008, 4009
- 564 क्र. 4010, 4011
- 565 क्र. 4012, 4013
- 566 क्र. 4014, 4015
- 567 क्र. 4016, 4017
- 568 क्र. 4018, 4019
- 569 क्र. 4020, 4021
- 570 क्र. 4022, 4023
- 571 क्र. 4024, 4025
- 572 क्र. 4026, 4027
- 573 क्र. 4028, 4029
- 574 क्र. 4030, 4031
- 575 क्र. 4032, 4033
- 576 क्र. 4034, 4035
- 577 क्र. 4036, 4037
- 578 क्र. 4038, 4039
- 579 क्र. 4040, 4041
- 580 क्र. 4042, 4043
- 581 क्र. 4044, 4045
- 582 क्र. 4046, 4047
- 583 क्र. 4048, 4049
- 584 क्र. 4050, 4051
- 585 क्र. 4052, 4053
- 586 क्र. 4054, 4055
- 587 क्र. 4056, 4057
- 588 क्र. 4058, 4059
- 589 क्र. 4060, 4061
- 590 क्र. 4062, 4063
- 591 क्र. 4064, 4065
- 592 क्र. 4066, 4067
- 593 क्र. 4068, 4069
- 594 क्र. 4070, 4071
- 595 क्र. 4072, 4073
- 596 क्र. 4074, 4075
- 597 क्र. 4076, 4077
- 598 क्र. 4078, 4079
- 599 क्र. 4080, 4081
- 600 क्र. 4082, 4083
- 601 क्र. 4084, 4085
- 602 क्र. 4086, 4087
- 603 क्र. 4088, 4089
- 604 क्र. 4090, 4091
- 605 क्र. 4092, 4093
- 606 क्र. 4094, 4095
- 607 क्र. 4096, 4097
- 608 क्र. 4098, 4099
- 609 क्र. 4100, 4101
- 610 क्र. 4102, 4103
- 611 क्र. 4104, 4105
- 612 क्र. 4106, 4107
- 613 क्र. 4108, 4109
- 614 क्र. 4110, 4111
- 615 क्र. 4112, 4113
- 616 क्र. 4114, 4115
- 617 क्र. 4116, 4117
- 618 क्र. 4118, 4119
- 619 क्र. 4120, 4121
- 620 क्र. 4122, 4123
- 621 क्र. 4124, 4125
- 622 क्र. 4126, 4127
- 623 क्र. 4128, 4129
- 624 क्र. 4130, 4131
- 625 क्र. 4132, 4133
- 626 क्र. 4134, 4135
- 627 क्र. 4136, 4137
- 628 क्र. 4138, 4139
- 629 क्र. 4140, 4141
- 630 क्र. 4142, 4143
- 631 क्र. 4144, 4145
- 632 क्र. 4146, 4147
- 633 क्र. 4148, 4149
- 634 क्र. 4150, 4151
- 635 क्र. 4152, 4153
- 636 क्र. 4154, 4155</

कर लिया जाए ।
 आधा/संतुति
 मानविक को

उन्होंने इस प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु कोई स्पष्ट नीति तय करने की बात उठायी । नीति तय करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया जो अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।

- 1- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 3- नगर विधायक, मसूरी क्षेत्र ।
- 4- शिक्षा विभाग के स्थानीय प्रतिनिधि ।
- 5- वन विभाग के स्थानीय प्रतिनिधि ।
- 6- सदयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग 3050, देहरादून ।

इस प्रकार को तब तक लम्बित रखा जाए जब तक समिति की रिपोर्ट पर विचारकर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता ।

कार्यवाही सं० न० नि०/सचिव :

विषय क्रमांक-6 :- अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-4-90 में निम्नांकित अनधिकृत कालोनियों

को नियमितिकरण किए जाने का निर्णय लिया गया था :-

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------------------------|
| अ॥ | ख० नं०-714/1, 714/2, 714/3 | ग्राम देहरावास, जिला देहरादून । | |
| ब॥ | ख० नं०-369एम, 371 | ग्राम आमावालातरला, जिला देहरादून । | |
| स॥ | ख० नं०-320, 322, 323 | आदि, ग्राम आमावालातरला, जिला देहरादून । | |
| द॥ | ख० नं०-188 | तथा 189 | ग्राम माजरा, जिला देहरादून । |
| घ॥ | ख० नं०-132 | ग्राम अजबपुरकला, जिला देहरादून । | |
| र॥ | | विजयपुर, हाथीबडकला, जिला देहरादून । | |
| ल॥ | ख० नं०-1168, 1169, 1170, 1172 | ग्राम अजबपुरकला, जिला देहरादून । | |

उपरोक्त अनधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण निम्न सिद्धान्तों के

आधार पर किए जाने का निर्णय भी उपरोक्त बैठक में लिया गया था :-

- 1। केवल आवासीय भू उपयोग जोन में ही नियमितिकरण किया जायेगा ।
- 2। संबंधित कालोनी के सभी भूखंडधारक एक साथ अपने भवन मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे ताकि उनसे एक साथ ही समान दर पर विकास व्यय वसूल किया जा सके ।

131 विकास मूल्य की दर की गणना स्थल पर होनेवाले वास्तविक विकास का के अनुमानित मूल्य पर आधारित होगी ।

141 सामुदायिक सुविधाओं, औपन ररिया इत्यादि की कमी का मूल्य भूखण्डधारको से विकास व्यय के साथ ही वसूल किया जायेगा ताकि इन कपियों का यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर प्राविधान किया जा सके ।

1 उपरोक्त सिद्धान्त के बिन्दु सं०-2 के अनुपालन में आनेवाली

व्यवहारिक कठिनाई के कारण प्रकरण पुनर्विचार हेतु बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारविमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अंकित कालोन्वियों का नियमितिकरण अब निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाय :-

111 केवल आवासीय भूणयोग जिन में ही नियमितिकरण किया जायेगा । विकास मूल्य की दर की गणना स्थल पर होनेवाले वास्तविक विकास कायों के अनुमानित मूल्य पर आधारित होगी ।

131 सामुदायिक सुविधाओं, औपर ररिया इत्यादि की कमी का मूल्य भूखण्डधारको से विकास व्यय के साथ ही वसूल किया जायेगा ताकि इन कपियों का यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर प्राविधान किया जा सके । केवल उन्ही स्थलों पर मानचित्र स्वीकृत किए जाय, जहां आधारभूत जनसुविधायें उपलब्ध करायी जानी संभव हो ।

151 स्वाभित्त्व सम्बन्धी प्रमाणपत्र सुनिश्चित कर लिए जाय ।

कार्यवाही सं० न० नि०/सचिव 1

विषय क्रमांक-7 :- देहरादून महायोजना क्षेत्र के जोनल प्लान बनाने के संबंध में ।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । इस कार्य पर होनेवाले व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है । तदनुसार जोनल प्लान शीघ्र तैयार कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाय ।

कार्यवाही सं० न० नि०/सचिव 1

क्रमांक:-----7,

1973 की सं०-1111
सुधारों पर सुझावों के
तंतुवित्तों प्राप्ति
1- जाय
2- वि
3- स
4- 22
5- 22
भेद दी जाय ।

विषय क्रमांक-8 :- मसूरी क्षेत्र की महायोजना के प्रारूप का जनता से आपत्तियां/
सुझाव प्राप्त करने हेतु अनुमोदन ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी क्षेत्र की महायोजना तैयार किए जाने हेतु घोषित अभिकरण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग 30प्र0 द्वारा प्रस्तुत मसूरी क्षेत्र की महायोजना प्रारूप पर विद्यारीपरान्त विभिन्न अभिकरणों एवं जनता से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त करने हेतु मसूरी क्षेत्र की महायोजना प्रारूप को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया जिससे कि 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-1113 में नीहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जा सके । इसी अधिनियम की धारा-1112 में नीहित प्रावधानों के अन्तर्गत महायोजना प्रारूप पर विचार, सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महायोजना प्रारूप को प्रकाशनाथ एवं प्रदर्शनार्थ रखे जाने के लिए न्यूनतम अवधि 30 दिन के स्थान पर 60 दिन किए जाने का निर्णय भी लिया गया । बैठक में यह सर्वसम्मति निर्णय भी लिया गया कि अन्य अभिकरणों की भांति इसी अवधि में पर्यावरण विभाग भारत सरकार के कमेंट्स भी प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित होगा जिससे कि शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने से पूर्व उन्हें अन्य आपत्तियों/सुझावों की भांति ही सुनवाई करने के उपरान्त समुचित रूप से समायोजित किया जा सके ।

यह भी निर्णय लिया गया कि 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-1112 एवं 1113 में नीहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर सुनवाई हेतु पांच सदस्यीय समिति गठित की जाती है जो अपनी संस्तुतियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।

- 1- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 3- वरिष्ठ निरीक्षक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग 30प्र0 ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, देहरादून ।

उपरोक्तानुसार गठित समिति की सूचना शासन के अनुमोदनार्थ/सूचनाथ भेज दी जाए ।

कार्यवाही सं0 न0 नि0/सचिव ।

क्रमांक:-----8

विषय क्रमांक-9 :- मलिन बस्तियों में भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम यह ज्ञात कर लिया जाए कि नगर में मलिन बस्तियों की कितनी संख्या है । क्या इन मलिन बस्तियों को ग्राम समाज अथवा जिला प्रशासन द्वारा पट्टे दिये गये है । इसी कार्यवाही के साथ-साथ इन मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण भी करा लिया जाए । प्रथम चरण में रिस्पना नदी अथी इबाला एवं रेमकोर्स स्थित मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण कराया जाए । इसके उपरान्त मैड का भी सर्वेक्षण कराया जाए । सर्वेक्षण कार्य हेतु जिला प्रशासन कार्यालय एवं नगरपालिका, देहरादून से एक-एक कर्मचारी कार्य पर ले लिया जाए ।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए आद्यथा एवं सर्वे कारणे के पश्चात् पुनः बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए । लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मलिन बस्तियों में मानचित्र स्वीकृति तथा अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है, इसकी जानकारी की जाए ।

कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव



विषय क्रमांक-10 :- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण भवनों, भूखण्डों, सम्पत्तियों आदि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।

सिद्धान्त रूप से मूल्यांकन के फार्मूले की प्रक्रिया अपनाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुसोदन प्रदान किया गया । यह निर्देश भी दिए गए कि मूल्यांकन के फार्मूले में रखरखाव पर होनेवाले व्यय का प्राविधान भी रक्षित जाए ।

कार्यवाही अधिभासी अभियंता/संयुक्त सचिव

क्रमांक:-----9,

विषय क्रमांक-11 :-

प्राधिकरण

के 12 पट्टे प्राप्त माली के प्रदान किया गया । तद

- 1- डालनवाला नैस्ट
- 2- धर्पुर गोदाम
- 3- सहस्रधारा
- 4- मसूरी कैम्प
- 5- मसूरी झील

अथवा, नगर

मसूरी क्षेत्र में किन पट्टों प्राथमिकता दी जाए ।

विषय क्रमांक-12 :-

यह प्रकार

भी तब तक लम्बित र सम्पत्ति की रिपोर्ट

विषय क्रमांक-11 :- प्राधिकरण में चौकीदार/माली के पदों के सुजन का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण के कार्यविवरण को देखते हुए सर्वसम्मति से चौकीदारों के 12 पद सस्था माली के 6 पदों का निम्नानुसार सुजन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया । तदनुसार भ्रमन को स्वीकृति देते प्रस्ताव भेजा जाय :-

	चौकीदार	माली
1- डालनवाला गैस्ट हाउस	02	01
2- धर्मापुर गोदाम	03	--
3- सदरप्रधारत	02	02
4- मसूरी कैम्प	02	--
5- मसूरी झील	03	03
	12	06
	-----	-----

अथवा, नगरपालिका, मसूरी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि मसूरी क्षेत्र में जिन पदों पर नियुक्ति की जाय, उनमें स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाय ।

कार्यवाही सचिव ।

विषय क्रमांक-12 :- वेणुदम गार्स हाइस्कूल, देहरादून के ग्राम नकरौन्दा स्थित भवन गानवित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

यह प्रकरण भी पूर्व निर्णीत विषय क्रमांक-5 की प्रकृति जैसा है । इसे भी तब तक लम्बित रकखा जाय जब तक विषय क्रमांक-5 में लिए गए निर्णयानुसार समिति की रिपोर्ट पर विचारकर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता ।

कार्यवाही सचिव ।

विषय क्रमांक-13 :- दून कोआपरेटिव स्टोर लि० द्वारा ग्राम रायपुर में
गैस गेटास के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावित गैस गेटास के मानचित्र पर आम सहमति से स्वीकृति
प्रदान की गयी । यह निर्देश दिये गये कि अग्नि सभन एवं मुख्य विस्फोटक
निर्वाहक विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र सुनिश्चित कर लिए जाए ।

कार्यवाही सोनोनि०/सचिव।

विषय क्रमांक-14 :- प्राधिकरण की सन्पत्ति जो नगरपालिका सीमा से बाहर
स्थित है, उनके रखरखाव के सम्बन्ध में ।

ऐसी नवनिर्मित कालीनियां जिनका हस्तान्तरण नगरपालिका की
फिर जाने में कुछ समय लग सकता है, उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भवनों
की कीर्स्टिंग करते समय रखरखाव के व्यय भी जोड़े जाए तथा यथाआवश्यकता एवं
हस्तान्तरण में लगनेवाले संभावित समय को दृष्टिगत रखते हुए भवनों का कब्जा देने
से पूर्व रखरखाव व्यय सम्भूत जमा करा लिया जाए । आवश्यकतानुसार अनुबन्ध-पत्र
भी निरूपणदिल करा लिया जाए ।

ऐसी कालीनियां जो पूर्व में निर्मित है तथा जिनके भवनों का कब्जा
आवंटियों को दिया जा चुका है, के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि रैन्टल वैल्यू
का 10% दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग से तथा 12% मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग
एवं व्यवसायिक भवनों से शर्तित चार्ज लिए जाए ।

कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव।

प्रश्न:------।,

विषय क्रमांक-15 :-
नगरपालिका, मसुरी ने
के सम्बन्ध में भी उन
ऐसे निर्माण स्थलों पर जो
की जनता में बाकी रोड
मानचित्र बर्दा देड़ नहीं
जाए । मसुरी क्षेत्र के
था कि इस सम्बन्ध में
वनयुक्त क्षेत्रों का डिजा
नगरपालिका क्षेत्र का
प्रथम चरण में बिल्टअप
पूर्ण करा लिया जाए ।
इस कार्य में लगाए र
पुराने
निर्माण स्थल पर जोई
व्यक्ति द्वारा रखे है
समस्त मानचित्रों को
गुंठे
नहीं था, अतः यह नि
अधिकारी की उपस्थि
पर पुनः विचार कर

विषय क्रमांक-15 :- मसूरी नगरपालिका क्षेत्र में भवन मानचित्रों की स्वीकृति के लिए वन विभाग से अनापत्ति-पत्र लेने के सम्बन्ध में।

इस मामले में विस्तृत रूप से विचारविमर्श किया गया। अद्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ने यह अवगत कराया कि दो-चार कमरों के घरेलू मानचित्रों के सम्बन्ध में भी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र नदीं मिल पा रहे है जबकि ऐसे निर्माण स्थलों पर कोई पेड़ विद्यमान नही है। इस स्थिति से मसूरी क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। उनका यह सुझाव था कि छोटे आकार के भवन मानचित्र जहाँ पेड़ नही है, के लिए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र न मंगा जाय। मसूरी क्षेत्र के विधायक भी इस बात से सहमत थे तथा उनका यह भी कहना था कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति तय कर लेनी चाहिये तथा वनविहीन तथा वनयुक्त क्षेत्रों का डिमांरकेशन करा लिया जाय।

विद्यारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मसूरी नगरपालिका क्षेत्र वन डिमांरेशन का कार्य दो चरणों में पूरा करा लिया जाय। प्रथम चरण में बिल्टअप क्षेत्र एवं द्वितीय चरण में अन्य क्षेत्रों के डिमांरकेशन का कार्य पूर्ण करा लिया जाय। प्राथिकरण, तदहसील एवं वन विभाग के सक्षम कर्मचारियों को इस कार्य में लगाकर एक माह के अन्दर पूर्ण कराया जाय।

पुराने लम्बित मानचित्रों के बारे में निर्णय लिया गया कि यदि निर्माण स्थल पर कोई पेड़ नही है, स्थल के दोनों ओर निर्मित क्षेत्र है तथा स्थानीय व्यक्ति द्वारा स्वयं के निवास हेतु निर्माण की स्वीकृति मांगी गई हो, तो ऐसे समस्त मानचित्रों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जाय।

चूंकि बैठक में वन विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नही था, अतः यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में वन विभाग के सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में नोटिफाईड ^{कार्य} ररिया में मानचित्र पास करने के बिन्दु पर पुनः विचार कर लिया जाय।

कार्यवाही संननननन/सचिव

अनुपूरक विषय क्रमांक-1 :- सहस्त्रधारा ... कं दोंधी और ग्राम बुह ...
डांडालखीपड, डांडाधीरण, धीरणधीरा व गुजराडा
मानसिंह में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

निर्देश दिये गये कि इस प्रकार पर विचार हेतु अगली बैठक में
पुनः प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यवाही संयुक्त सचिवः

अनुपूरक विषय क्रमांक-2 :- ग्राम नथवावाला-रायपुर-गुलवाही मार्ग पर भूमि
लेने सम्बन्धी ।

अगली बैठक में विचार करने हेतु पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश
दिये गये ।

कार्यवाही संयुक्त सचिवः

अनुपूरक विषय क्रमांक-3 :- बसस्टैंड हेतु ग्राम कांवली-महरानी बाग में 2 एकड़
भूमि अधिग्रहण से मुक्त किए जाने एवं इसके स्थान पर
ग्राम कांवली में ही बिन्दुदाल नाले के समीप लगभग
5 एकड़ भूमि अधिग्रहण अथवा आपसीवार्ता द्वारा
शुप करने सम्बन्धी ।

इस सम्बन्ध में प्राथिकरण की बैठक दिनांक 27-12-90 में गठित
समिति की आख्या/संस्तुति पर विचार किया गया । भारत क्षमता की दृष्टि
से भूमि की उपयुक्तता को देखते हुए प्रयत्नत स्थल पर सिटी बसस्टैंड बनाने
जाने का निर्णय लिया गया । निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही
आरम्भ की जाए ।

कार्यवाही संयुक्त सचिवः

क्रमशः-----13,

बैठक

देहरादून माहायो

दक्षिण भूमि के भू

प्रस्तुत की गयी ।

अनुसार माहायोका

क्षेत्र में परिवर्तित

रिक्त 6.5 हेक्टे

है । तदनुसार भू

समान

प्रस्तुत कालिन्दी

से निष्पन्न किया

उपयोग हेतु आरहि

जा सकता है ।

भूमि

बैठक में प्रस्तुत की

उत्तर

एनवाट के हुए

Aw

सचिवः

साम

-13-

पृष्ठ

सं

बैठक में अन्त में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-90 में

देहरादून महायोजना में ग्राम कंवली में अस्पताल एवं डिग्री कालेज के लिए दक्षिण भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित समिति की आशय/संस्तुति प्रस्तुत की गयी। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुति के अनुसार महायोजना में "अस्पताल" हेतु आरक्षित क्षेत्र को निम्न धनत्व के आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है। डिग्री कालेज हेतु आरक्षित क्षेत्र में अवशेष फिक्त 6.5 हेक्टेअर को "स्वास्थ्य एवं शैक्षिक" उपयोग हेतु आरक्षित किया जाता है। तदनुसार भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

यमुनावैली इंजीनियर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत कालिन्दी रन्वलेव, ग्राम कंवली के तलपट मानचित्र के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रस्तावित स्थल का भूउपयोग शासकीय/अर्द्धशासकीय उपयोग हेतु आरक्षित है, अतः भूउपयोग "आवासीय" में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।


भविष्य में अपनाये जानेवाली नीति सम्बन्धी संस्तुति समिति अपनी बैठक में प्रस्तुत करें।

कामवाही सं0न0नि0/सचिव।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।


सुनिता सिंह,
सचिव।


जैलवीर सिंह,
उपअध्यक्ष।


नानिन्दर सिंह,
आयुक्त/अध्यक्ष।

